भारत सरकार

शहरी विकास मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं0 1026

08 फरवरी,2017 को उत्तर के लिए

^,,evkj;wVh* ds rgr 'kkfey 'kgjh {ks=

1026- Jh panwyky lkgw%
Jh pUnz izdk'k tks'kh%
Jh vkse fcjyk%

D;k **'kgjh fodkl** ea=h ;g crkus dh d`ik djsaxs fd%

¼d½ D;k dbZ 'kgjh {ks= xaHkhj ty&ladV dk lkeuk dj jgs gSa ysfdu mUgsa vVy th.kksZ)kj vkSj 'kgjh dk;kdYi fe'ku ¼,,evkj;wVh½ ds rgr 'kkfey ugha fd;k x;k gS vkSj ;fn gka] rks rRlaca/kh C;kSjk D;k gS rFkk blds D;k dkj.k gSa(

¼[k½ bu 'kgjksa dks ^,,evkj;wVh* ds rgr 'kkfey djus ;k fo'ks"k foÙkh; lgk;rk iznku djus ds fy, D;k dne mBk, x,@mBk, tk jgs gSa(

¼x½ 'kgjh {ks=ksa esa o"kkZ ty laj{k.k@lap;u rduhdksa dks lq/kkjus gsrq D;k rjhds viuk, x, gSa vkSj ^,,evkj;wVh* ds rgr gq, fodkl ;k fofufeZr ifjlaifÙk;ksa dh 'kgj&okj fLFkfr D;k gS(

¼?k½ D;k ^lhojksa vkSj lsflVd VSadksa dh ;kaf=d lQkbZ gsrq lgk;rk ;kstuk* ds rgr de /kujkf'k miyC/k djkbZ xbZ gS vkSj ;fn gka] rks rRlaca/kh C;kSjk D;k gS rFkk ;fn ugha] rks blds D;k dkj.k gSa(vkSj

¼³½ D;k ljdkj dk bldk ^,,evkj;wVh* ;kstuk ds ek/;e ls blesa lgk;rk nsus dk fopkj gS vkSj ;fn ugha] rks blds D;k dkj.k gS\

उत्तर

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री

(राव इन्द्रजीत सिंह)

(क)और(ख): शहरी विकास राज्य का विषय है । केन्द्र सरकार राज्यों के प्रयासों में विभिन्न स्कीमों और कार्यक्रमों के माध्यम से सहायता प्रदान करती है । मंत्रालय ने 500 मिशन शहरों में शहरी अवस्थापना को सुदृढ़ करने के लिए अटल नवीकरण और शहरी परिवर्तन मिशन (अमृत) शुरू किया है । इस मिशन के दिशानिर्देशों में कवरेज के लिए शहरों के चयन के लिए मानदंडों की व्यवस्था है और शहरों का तदनुसार चयन किया गया है और अधिक शहरों को शामिल करने के लिए अमृत के क्षेत्र का विस्तार करने हेतु किसी भी प्रस्ताव पर विचार नहीं किया जा रहा है । इसके अतिरिक्त, सरकार ने शहरी स्थानीय निकायों को वित्त मंत्रालय द्वारा जारी किए गए इसके दिशानिर्देशों के अनुसार 5 वर्ष की अवधि में आधारभूत सेवाएं प्रदान करने के लिए 87,519 करोड़ रूपए केन्द्रीय अंतरण के रूप में प्रदान करने के लिए 14वें वित्त आयोग की सिफारिशें स्वीकार की हैं ।

(ग): शहरी विकास मंत्रालय ने इसके आदर्श भवन निर्माण उपनियम, 2016 में वर्षा जल संचयन के उपबंधों को सम्मिलित तथा उनको सभी राज्यों तथा संघ राज्य क्षेत्रों में अंगीकार करने के लिए परिचालित किया है । अमृत को जून, 2015 में शुरू किया गया । सभी राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों के लिए कुल परियोजनाओं को 45,955.93 करोड़ रूपए की लागत से वर्ष 2015-16 तथा वर्ष 2016-17 की राज्य वार्षिक कार्य योजनाओं (एसएएपी) को अनुमोदित किया गया है । राज्यों/शहरी स्थानीय निकायों द्वारा इनका कार्यान्वयन किया जाता है ।

(घ)और(ड.): अमृत के अंतर्गत सीवरों और सेप्टिक टैंकों की यांत्रिकीय और जैविक सफाई एक स्वीकार्य घटक है । परियोजनाओं का चयन और क्षेत्रों का प्राथमिकीकरण राज्य और संघ राज्य क्षेत्रों की सरकारों का विशेषाधिकार है तथा इसे राज्य/संघ राज्य क्षेत्र की विशिष्ट आवश्यकताओं के अनुसार किया जाता है ।

***